

07 ¹⁰/₂₄ पत्रावली पेश हुई वादी व उनके
अधिवक्ता अनुपास्थित रहे। पत्रावली
के अनवानु अनुसार तीन बार आवार्ज
लगाई जाने के बावजूद वादी और उनके
अधिवक्ता अनुपास्थित रहे। अतः पत्रावली
अदम हाजरी और अदम पेशी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
नंबर से कम है।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली